पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 179/2017

रवि कुमार पुत्र श्री इन्द्रपाल जाति जाट उम्र 20 व र्ा निवासी चक 11 क्यू बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर ( राजस्थान)

..... वादी

बनाम

(1). श्योपतराम पुत्र श्री नानूराम
(2). इन्द्रपाल पुत्र श्री श्योपतराम
(3). जयप्रकाश पुत्र श्री श्योपतराम
} कौम जाट निवासीयान चक 11 क्यू बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर ( राजस्थान)

(4). श्रीमती शकिला (पुत्री श्री श्योपतराम) पत्नी श्री सुरेन्द्र कौम जाट निवासी गांव रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

(5). स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व),श्रीगंगानगर (राज0)

..... प्रतिवादीगण

## दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

### –:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता — वादी
2. श्री विजयपाल भाटी अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

## –:: निर्णय ::–

दिनांक :–17.01.2018

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 के तहत अपेक्षित वादी एवं प्रतिवादीगण का रजिस्टर वाद पत्र के र्शीषक में अंकित है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी के दादाजी, प्रतिवादी संख्या 2 वादी के पिताजी व प्रतिवादी संख्या 3 वादी के चाचाजी, प्रतिवादी संख्या 4 वादी की बुआजी है। चक 11 क्यू पटवार हल्का बख्ताना तहसील व जिला–श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 72/54 के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 9/2 (0.143 है.), 10(0.228 है.), 11(0.228 है.), 12, 13, 14, 15 (प्रत्येक में 0.253 है.), 20/1(0.117 है.) कुल 1.728 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक प्रति. सं. 1 (श्योपत पुत्र नानूराम ) के नाम दर्ज कागजात राज है ।

वादी के दादाजी/प्रतिवादी संख्या 1 श्योपत के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी के पड़दादाजी नानूराम पुत्र घेरूराम के स्वर्गवास होने के बाद विरास्तन व दस्तबरदारी इन्तकाल संख्या 166 दिनांक 29.12.2000 के द्वारा वादी के दादाजी व इनके भाईयो (रणजीतराम, उदाराम, श्योपतराम) के नाम दर्ज हुई उक्त कृषि भूमि विरास्तन जायदाद है। वादी का इस भूमि में जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। चक 11 क्यू के खाता संख्या 72/54 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है।

वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 2 शराबी एवं नशेड़ी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पुत्र की नशेड़ी एवं शराबी आदतो के कारण तथा प्रतिदिन की कलह से तंग आकर वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 2 को घर से निकाल दिया तथा घरेलू बंटवारा अनुसार मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 9/2 (0.143 है.), 10(0.228 है.), 11(0.228 है.) यानि 0.599 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि वादी द्वारा मांग करने पर घरेलू बंटवारा में दी गई।

उक्त घरेलू बंटवारा अनुसार वादी ने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि का काबिज काश्त है तथा वादी एवं वादी की माताजी ने इस कृषि भूमि में से 2 बीघा भूमि में खुब मेहनत करके किन्नू का बाग लगाया है जो करीब 8–10 वर्ष पुराना है तथा अच्छी उपज देने वाला

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

है लेकिन अब प्रतिवादी संख्या 1 के मन में लालच व बेईमानी आ गई है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के साथ मिलीभगती करके वादी को घरेलू बंटवारा अनुसार दी गई कृषि भूमि को हड़पना चाहते है तथा कोड़ियो के भाव बेचने की फिराक में है जबकि इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादी का पिता है लेकिन नशेड़ी एवं शराबी है जो प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मिला हुआ है।

उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 श्योपतराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादी को धमकियां देता रहता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 भी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मिले हुए है जबकि वादी व वादी की माताजी ने उक्त कृषि भूमि में मेहनत करके बाग लगाया है तथा ऊपजाऊ बनाई है तथा इस 2 बीघा बाग से ही वादी एवं वादी की माताजी का जीवन निर्वाह हो रहा है।

प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 12.08.2017 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है तथा कोड़ियो के भाव बेचान करने की धमकी दी है यही बिनाय मुखास्मत है।

वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया है :–

(क) प्रतिवादी संख्या 1 (श्योपत पुत्र नानूराम) के नाम दर्ज चक 11 क्यू पटवार हल्का बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 72/54 के मुरब्बा नम्बर 48 की 1.728 हैक्टयर कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 9/2 (0.143 है.), 10 (0.228 है.), 11(0.228 है.) यानि 0.599 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि वादी रवि कुमार पुत्र श्री इन्द्रपाल जाति जाट निवासी चक 11 क्यू बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) की घोषित की जावे ।

(ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। दिनांक 18.09.2017 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जरिए वकील राजीनामा पेश किया गया। जिसे तस्दीक किया गया। दिनांक 03.10.2017 को पैरोकार राज स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। दिनांक 03.01.2018 को प्रतिवादी संख्या 4 को जारी रजिस्टर्ड सम्मन मय ए.डी. पर पर्याप्त तामील होने पर प्रतिवादी संख्या 4 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

चुँकि प्रकरण में वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकीयात नहीं बनाई गई। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र पेश नहीं किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई। दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागण ने वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

समझौता के आधार पर वादपत्र डिक्री किया जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है।

अतः पक्षकारान में हुए राजीनामा अनुसार वर्णित कृषि भूमि के लिये खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

## –:: आदेश ::–

उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान में हुए राजीनामा अनुसार पक्षकारान को वर्णित कृषि भूमि के लिये निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता हैं:–

(1) **रवि कुमार पुत्र श्री इन्द्रपाल** को चक 11 क्यू पटवार हल्का बख्ताना तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 72/54 के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 12(0.253 है.) हैक्टयर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

(2) **श्योपतराम पुत्र श्री नानूराम** को चक 11 क्यू पटवार हल्का बख्ताना तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 72/54 के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 11(0.228 है.), 20/1(0.117 है.)=0.345 है. नहरी कृषि भूमि काखातेदार घोषित किया जाता है।

(3) **इन्द्रपाल पुत्र श्री श्योपतराम** को चक 11 क्यू पटवार हल्का बख्ताना तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 72/54 के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 9/2(0.143 है.), 10(0.228 है.),13 (0.240 है.)= 0.611 है. नहरी कृषि भूमि काखातेदार घोषित किया जाता है।

(4) **जयप्रकाश पुत्र श्री श्योपतराम** को चक 11 क्यू पटवार हल्का बख्ताना तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 72/54 के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 13(0.013 है.), 14(0.253 है.), 15 (0.253 है.)= 0.519 है. नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे।

नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 17.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)